न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2025/166

मिसलनम्बर– 18 / 2025

1.नफीसा बेगम पत्नी श्री अब्दुल लतीफ आयु 61 वर्ष जाति मुसलमान
2.अब्दुल लतीफ पुत्र श्री अब्दुल रहीम आयु 63 वर्ष जाति मुसलमान निवासीगण मकान नं0 46 कादरिया मंजिल गौतम वाटिका के पास अधरशिला कच्ची बस्ती दादाबाडी कोटा राज0 थाना दादाबाडी

–प्रार्थीगण

बनाम

1.मोहम्मद रफीक पुत्र श्री अब्दुल लतीफ आयु 42 साल जाति मुसलमान
2.फरा पत्नी मोहम्मद रफीक आयु 39 वर्ष जाति मुसलमान
3.रईस आत्मज अब्दुल लतीफ
4.जावेद आत्मज अब्दुल लतीफ
5.तौहिद आत्मज अब्दुल लतीफ
निवासीगण मकान नं0 46 कादरिया मंजिल गौतम वाटिका के पास अधरशिला कच्ची बस्ती दादाबाडी कोटा रा0 थाना दादाबाडी

–अप्रार्थीगण

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 30/03/2026

उपस्थितिः–

1.श्री सत्यप्रकाश गौतम प्रार्थीगण अधिवक्ता।
2.श्री जगदीश खण्डेलवाल अप्रार्थी नं0 1 व 2 अधिवक्ता
3.श्री योगेश कुमार शर्मा अप्रार्थी नं0 3, 4, 5 अधिवक्त

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् पत्रावली निर्णय प्रार्थना–पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीपक्ष द्वारा निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण अधरशिला कच्ची बस्ती कोटा के निवासी है तथा पति पत्नी है तथा साथ ही निवास करते है दोना की सीनियर सिटीजन है। प्रार्थी नं0 1 व 2 जिस मकान में रह रहे है उस मकान का मालिक प्रार्थी कम 1 है इसका पता मकान नं0 46 कादिरया मंजिल गौतम वाटिका के पास अधरशिला कच्ची बस्ती दादाबाडी है। प्रार्थी नं0 2 सब्जी बेचने का कार्य करता था वर्तमान में

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

नही कर रहा। प्रार्थी कम 1 ग्रहणी है वह कोई कार्य नही करती है। अर्थात उनका आय का साधन नही है। प्रार्थीगण के प्रतिपक्षीगण के अलावा बच्चे और है वे थोडी बहुत भरण पोषण राशि देते है जिससे जीवन यापन होता है। प्रतिपक्षी कम 1 कृषि उपज मण्डी (फल सब्जी) कोटा के मण्डी यार्ड में सब्जी का व्यापार करता है जिससे उसकी प्रतिदिन लगभग 3 से 4 हजार रूपया अर्थात औसत आय एक लाख रूपये प्रतिमाह है। प्रतिपक्षीगण, प्रार्थीगण का भरण पोषण नही करते हैं उन्हे कोई राशि भरण पोषण, इलाज व अन्य आवश्यकता के लिये एक रूपया भी अदा नही करते हे तथा मांगने पर गाली गलोच झुठे मुकदमे दर्ज कराने की धमकी देते हं तथा मारपीट करते है। व पूरे परिवार को जेल में बन्द करवाने की धमकी देते है। प्रार्थीगण को प्रतिमाह भरण पोषण के लिये लगभग 30000/–रू० की आवश्यकता है। प्रार्थीगण प्रतिपक्षीगण से 10,000/–रू० प्रतिमाह की मांग करते हैं जो वह नही देता है। यह दिलवाया जावे। प्रतिपक्षीगण, प्रार्थी कम 1 के मकान में ग्राउण्ड फ्लोर पर प्रार्थीगण की इजाजत से तीन कमरो व एक किचन मे निवास करते आ रहे हैं। यह सुविधा प्रतिपक्षीगण को पुत्र व पुत्रवधु होने के कारण दी थी। प्रतिपक्षीगण दोनो ही झगड़ालू स्वभाव के हैं आये दिन किसी न किसी बात को लैकर झगडा फसाद करते रहते हैं इन दोनो ने खासकर प्रतिपक्षी नम्बर 2 ने प्रार्थीगण व पूरे परिवार का जीना हराम कर रखा है गंदी गंदी गालियां बकते है। आये दिन छोटी छोटी बात को लेकर थाना दादाबाडी मे रिपोर्ट करवाती रहती है और पुलिस लेकर आ जाती है इससे पूरा मोहल्ला परेशान है। प्रार्थीगण व पूरा परिवार परेशान है। प्रार्थीगण की बेईज्जती होती हे इससे प्रार्थीगण को भारी मानसिक तनाव रहने लगा है तबियत अधिक खराब होने लगी है। प्रार्थीगण ने यह निर्णय लिया कि अब प्रतिपक्षीगण को स्पष्ट रूप से कह दिया जावे कि वे इस मकान को खाली कर दे। इसी कम में प्रार्थीगण ने दिनांक 13–3–25 को प्रतिपक्षीगण को स्पष्ट कह दिया था कि तुम्हारा यहां रहना ठीक नही है हम तुम्हे अब इस मकान मे नही रखना चाहते हैं अनुमति समाप्त की जाती है आप 15 दिन में मकान खाली कर दें। उसके बाद भी मकान खाली करके नही सौपा अपितु गाली गलोच लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये और प्रतिपक्षी कम 2 यहां तक धमकी देती है कि कोई कार्यवाही की तो कपडे फाड कर रिपोर्ट करवा दूंगी। तुम हमारा. कुछ नही कर सकते। हम पुलिस में रिपोर्ट करने व मकान खाली करवाने की फरियाद लेकर गये तो पुलिस वालो ने स्पष्ट कह दिया कि प्रार्थीगण न्यायालय में जाकर वहां से अपनी स्वयं व सम्पत्ति की सुरक्षा व खाली करवाने का आदेश लावें तब हम खाली करवा देगें। अतः प्रार्थना है कि

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रतिपक्षीगण से प्रार्थीगण को भरण पोषण की राशि 10,000/– रू0 प्रतिमाह आवेदन की तारीख से मय ब्याज दिलाई जावे। प्रतिपक्षीगण से प्रार्थीगण के मकान को खाली करवाकर कब्जा दिलाया जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। **अप्रार्थीगण नं0 1 व 2 की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब निम्नानुसार प्रस्तुत किया है कि** प्रतिपक्षीगण का प्रार्थीगण की अनुमति/ इजाजत से विवादित मकान में रहने का कथन अस्वीकार है। वस्तुतः इस मकान के प्रारम्भ से ही निर्माण आदि में स्वयं प्रतिपक्षी क्रम 1 द्वारा अपनी सम्पूर्ण कमाई को प्रार्थीगण को देते रहने पर ही इस मकान का निर्माण तत्समय हुआ है। है। प्रार्थी क्रम 2 की थोक फ्रुट्स सब्जी मण्डी कोटा में अपनी सम्पत्ति दुकान नम्बर सी–70 में बहुत बडा व्यवसाय फर्म मैसर्स कादरिया फ्रुट्स कम्पनी के नाम से बरसो से चला आ रहा हुआ है। इस अपने व्यवसाय को प्रार्थी क्रम 2 द्वारा इस फर्म वाले व्यवसाय को अन्य को लीज/ किराया/लाईसेन्स पर देकर लेसर/किरायेदार/लाईसेन्सी से करीब 100,000 /–रूपये महिना निरन्तर प्राप्त किया जाता हुआ चला आ रहा है। इस प्रकार प्रतिपक्षी क्रम 2 की वहां अपनी फर्म से करीब 1,00,000/– रूपये मासिक की नियमित आय हो रही है। इसके अलावा प्रार्थीगण के तीन अन्य पुत्र क्रमशः रईस उम्र 39 वर्ष, जावेद भाई उम्र 34 वर्ष व तोहिद उम्र 25 वर्ष भी है, जिनसे भी प्रार्थीगण द्वारा कोई थोडी बहुत भरण– पोषण राशि नही ली जाती क्योकि प्रार्थीगण को अपने भरण – पोषण की कोई किसी प्रकार की आवश्यकता ही नही है। प्रार्थीगण स्वयं के पास उक्त प्रकार से अपने व्यवसायिक दुकान से निरन्तर करीब 1,00,000/–रूपये की आय हो रही है, जिससे प्रार्थीगण दोनो का आसानी से भरण–पोषण होता चला आ रहा हुआ है। इसमें इन दोनो को किसी प्रकार की कोई कमी अथवा कोई आर्थिक तकलीफ नही है। बल्कि प्रार्थीगण के कहने पर व अनुरोध पर प्रतिपक्षी क्रम 1 द्वारा इस सम्पूर्ण मकान का प्रत्येक माह का बिजली का सम्पूर्ण बिजली उपयोग की राशि जमा करवाई जाती चली आ रही है। इस मकान में स्वयं प्रार्थीगण व प्रतिपक्षीगण तथा प्रतिपक्षीगण के दो बच्चे व दो बच्चीयां तथा प्रतिपक्षी क्रम 1 के अन्य तीनो भाई व उनका परिवार निवास करता है।

थोक फ्रुट्स सब्जी मण्डी में फुटकर सब्जी विक्रेता का कार्य करके बडी मुश्किल से अपना व पत्नि तथा चारो बच्चो का पेट पालता है, इस कार्य से प्रतिपक्षी क्रम 1 को मात्र 10–15 हजार रूपये, मात्र की आमदनी बडी मुश्किल से हो जाती है, जिसमें से प्रतिपक्षी क्रम 1 सम्पूर्ण मकान के बिजली का बिल नियमित रूप से अदा करते हुऐ प्रार्थीगण व अन्य भाईयो

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

को अपनी हैसियत से बढ़कर सहयोग कर रहा है। प्रार्थीगण को स्वयं की ही करीब 1,00,000/–रूपये प्रतिमाह की उक्त वर्णन अनुसार आय होने से उन्हे भरण–पोषण की कोई तकलीफ ही नही है। कभी भी प्रार्थीगण द्वारा कोई भरण–पोषण राशि की मांग न तो प्रतिपक्षीगण से की और न अपने अन्य तीनो पुत्रो से, स्वंय प्रार्थीगण के अत्यधिक आय होने के कारण, नही की गयी। यह कथन भी अस्वीकार है कि प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण के साथ गाली–गलोच या मारपीट अथवा झूंठे प्रकरण दर्ज करवाने की कोई धमकी दी हो अथवा उनको जैल में बंद करवाने की धमकी दी हो, बल्कि इसके विपरीत प्रार्थीगण दोनो व उनके अन्य पुत्रगण इस रिहायशी परिवार, मकान में अपने किसी गुरू, तान्त्रिक पिडावा जिला झालावाड वाले को लाकर मकान में लगवाकर वहां पर झाड़ फूक, तान्त्रिक क्रिया आदि करवाने की इच्छा रखने के अधीन तान्त्रिक को जबरन मकान में बुलाकर यह अंध विश्वास वाली क्रियाए करने की चेष्टा करने पर प्रतिपक्षीगण द्वारा उनसे आपत्ति यह कहकर की गयी कि मकान में औरते, बहुए व जवान बच्चीयां आदि सभी निवास करते है, इस प्रकार के तान्त्रिक बनावटी व्यक्ति से झाड फूक व तान्त्रिक क्रियाए करवाना ठीक नही है। प्रतिपक्षीगण इस कार्य को नही करने देगें, जिससे नाराज होकर प्रार्थीगण ने तान्त्रिक व अन्यो के बहकावे में आकर यह झुंठा प्रकरण बिना किसी बात व कारण के स्वयं बर्बाद होने के साथ–साथ प्रतिपक्षीगण से भी उक्त प्रकार की रंजिश रखने के कारण झूंठी कहानी गढ़कर मात्र परेशान करने की गरज से मिथ्या कथनो को बनाकर पेश किया गया है, जो इस अनुसार पोषणीय नही होने से निरस्त होने योग्य है। प्रार्थीगण को कोई भी स्वयं के भरण–पोषण की आवश्यकता नही है, न होने का प्रश्न ही उठता है। प्रार्थीगण को तो अपने मण्डी व्यवसायिक संस्थान से करीब 1,00,000/–रूपये मासिक की नियमित आय होती चली आ रही है, जिस बाबत आयकर विवरणिका में भी उक्त का अंकन है। प्रार्थीगण के ऊपर अन्य कोई पारिवारिक दायित्व भी नही है। सम्पूर्ण मकान के बिजली का बिल प्रार्थीगण के कहने पर प्रतिपक्षीगण द्वारा ही अदा किया जा रहा है। प्रार्थीगण की एक अन्य पुत्री मेहराज का निकाह हो चुका है, जो अपने पति परिवार के यहां राजी खुशी जीवन व्यतीत कर रही है, अन्य तीनो पुत्रगण भी अपना– अपना व्यवसाय/कार्य कर अपना व अपने परिवार का पेट पालन पृथक से कर रहे है। चूंकि प्रार्थीगण बिना किसी बात व कारण के प्रतिपक्षीगण से नाराजगी व रंजिश रखते हऐ प्रतिपक्षीगण को परेशान करना चाहते है तथा दुर्भावना से प्रतिपक्षीगणो को मकान से इस प्रकरण की आड में बेदखल करना चाहते है। यह इस तथ्य भी प्रमाणित हो रहा है

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

कि प्रार्थीगणो ने अपने अन्य तीनो पुत्रो के विरूद्ध ऐसी कोई भी कार्यवाही न कर केवल प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध ही यह झूंठे कथनो वाली कार्यवाही पेश की है। अन्य तीनो पुत्रो को इस कार्यवाही में आवश्यक पक्षकार होते हुऐ भी पक्षकार नही बनाया गया है, जो बनाया जाना न्यायोचित व प्रकरण की परिस्थितियो के अनुसार आवश्यक है। प्रतिपक्षीगण के पास इस मकान में ग्राउण्ड फलोर के तीन कमरे, लेट्रिन–बाथरूम, किचन मकान निर्माण के समय प्रारम्भ से ही उपयोग–उपभोग में चले आ रहे है, जिस बाबत प्रार्थीगण द्वारा के इजाजत देने का या प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण से इजाजत लेने का प्रश्न ही नही उठता। प्रतिपक्षीगण ग्राउण्ड फ्लोर के अपने परिसर को अपने खर्चे से पूर्ण मेन्टेन करते हुऐ तथा अपनी प्राईवेसी को सुरक्षित रखते हुऐ अपने व चारो बच्चो के निवास के उपयोग–उपभोग हेतु करते चले आ रहे है। सभी बच्चे 8 से 14 वर्ष के है। बडी पुत्री 14 वर्ष की है, यह सभी निरन्त पढाई कर रहे है, जिनकी पढाई, शिक्षा–दीक्षा, ऑटो फीस, बीमारी, भरण–पोषण को अपनी सीमित आय से प्रतिपक्षीगण वहन कर रहे है। प्रार्थीगण द्वारा गत दिनो लडाई–झगडा व मकान खाली करने की धमकियां उलजुलूल रूप से बिना किसी बात व कारण के प्रतिपक्षी क्रम 2 को देने के कारण, प्रतिपक्षी क्रम 2 द्वारा पुलिस थाना दादाबाडी कोटा में उक्त बाबत रिपोर्ट देने को बाध्य होना पड़ा। प्रतिपक्षीगण शांतीप्रिय पारिवारिक लोग है, जो शांति से रहना चाहते है और शांति से ही रह रहे है। प्रार्थीगण को कोई भी हक व अधिकार ही नही है कि वह प्रतिपक्षीगण को मकान में निरन्तर रहने से रोके या उसमें व्यवधान किसी प्रकार से कारित करे, तथा मकान से बेदखल करे या इस प्रकार का कोई आदेश इस सम्माननीय न्यायालय से इस प्रकार की कार्यवाही के अधीन प्राप्त करे। चूंकि प्रतिपक्षीगण कभी भी प्रार्थीगण की इजाजत या अनुमति से मकान में निवास नही कर रहे है, बल्कि मकान निर्माण में प्रार्थीगण को पूर्ण सहयोग अपना खर्च करते रहने से बने इस मकान में अपने अधिकारो के तहत ही मकान में रह रहे है, इस प्रकार की कार्यवाही से प्रार्थीगण मकान से प्रतिपक्षीगण को बेदखल करने का आदेश प्राप्त करने के अधिकारी नही है और न हो सकते है। प्रार्थीगण इस कार्यवाही की आड में प्रतिपक्षीगण को मकान से बेदखल करने की अपनी विधि विरूद्ध इच्छा रख रहें है, जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है। सम्पूर्ण प्रकरण में वणित कथनो से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो रहा है कि प्रार्थीगण ऐनकेन प्रकारेण प्रतिपक्षीगणो को मकान से बेदखल करने की विधि विरूद्ध इच्छा रखते है, न कि प्रार्थीगण को किसी प्रकार के निर्वाह खर्चे की कोई आवश्यकता है। प्रार्थीगण इस अधिनियम की आड लेते हुऐ भरण–पोषण प्राप्त करने की

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

झूंठी आवश्यकता बताकर प्रतिपक्षीगण को मकान से बेदखल करने के आदेश को प्राप्त करने की चेष्टा में है, जिसका उन्हें कोई अधिकार नही है। कानूनन इस प्रचलित अधिनियम के तहत प्रार्थीगण को कोई अधिकार ही प्राप्त नही है कि वह प्रतिपक्षीगणो को मकान से बेदखल करने का आदेश इस सम्माननीय न्यायालय से प्राप्त करे। प्रार्थीगण द्वारा अपनी भरण–पोषण की झूंठी आवश्यकता मात्र बनावटी व रूटीन रूप से वर्णित की है, जबकि प्रार्थीगण को स्वयं के भरण–पोषण की कोई आवश्यकता ही नही है। प्रतिपक्षीगण स्वयं ऐसे सक्षम भी नही है और न उनकी ऐसी कोई आर्थिक स्थिति ही है कि वह कोई भरण–पोषण की राशि प्रार्थीगण को अदा कर सके। प्रार्थीगण द्वारा अपने अन्य तीनो पुत्रो को इस कार्यवाही में पक्षकार नही बनाने से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण महज केवल प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध अकारण रंजिश व दुर्भावना रखते आए है, इस कारण से केवल प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध ही झूंठे कथनो पर यह कार्यवाही पेश की है। कानूनन वर्णित धाराए व नियम प्रकरण के विवाद के सम्बंध में लागू ही नही होती है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगणो का प्रार्थना पत्र कार्यवाही सव्यय निरस्त फरमाई जावे।

अप्रार्थीगण 3, 4, 5 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान की वर्तमान में मालिक श्रीमती नफीसा है। प्रतिपक्षी नं0 1 व 2 तथा उत्तरदाता सभी प्रार्थीगण की इजाजत से इस मकान में निवास कर रहे है। हम उत्तरदातागण प्रार्थीगण के साथ रहते है तथा थोडा बहुत लगभग 15,000/–रू0 प्रार्थीगण को देते है इसमें प्रार्थीगण का वह सारा खर्चा चलता है व जीवन यापन हो रहा है परन्तु प्रतिपक्षी हमारे माता पिता को न तो भरण पोषण की राशि देते है और नही इलाज व अन्य पारिवारित खर्चो से मदद करते है क्योंकि खर्चे के लिये लगभग 30,000/–रू की आवश्यकता है। इतना ही नही शादी के बाद प्रतिपक्षी कम 1 व 2 अलग रहने लगे बाद में प्रतिपक्षीगण के आग्रह पर प्रार्थीगण ने उन्हे मकान में रहने की इजाजत दी थी व भी समाप्त कर दी गई। इनका इस मकान में रहना किसी भी रूप में सही नही है अपितु सबके लिए खतरा है। प्रार्थीगण व हम उत्तरदातागण के लिये प्रतिवादी नं0 1 व 2 से जान का खतरा बना हुआ है इन्होने प्रार्थीगण के साथ मारपीट की है झूठी रिपोर्ट की है तथा प्रार्थीगण द्वारा मकान खाली करने की कहने पर भी मकान खाली नही किया जबकि प्रार्थीगण सीनियर सीटीजन है उनके लिये प्रतिपक्षी कम 1 व 2 से मकान खाली करवाना आवश्यक है। इनके आचरण से सब परेशान है। प्रतिपक्षी कम 1 व 2 के आचरण से प्रार्थीगण की जान को खतरा है। अतः प्रार्थना स्वीकार है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रकिया के उपरांत बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया एवं अप्रार्थीगण को बहस वास्ते प्र्याप्त अवसर प्रदान किये गये परन्तु अप्रार्थीगण की ओर से बहस प्रार्थना पत्र नही की गई। अतः अप्रार्थीगण का बहस का अवसर बंद किया गया। प्रार्थीगण की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेज हिबानामा दिनांक 17.11.2023 पेश किये।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन एवं बहस में दर्शित तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थी नं0 2 सब्जी बेचने का कार्य करता था वर्तमान में नही कर रहा। प्रार्थी कम 1 ग्रहणी है वह कोई कार्य नही करती है। अर्थात उनका आय का साधन नही है। प्रतिपक्षीगण, प्रार्थीगण का भरण पोषण नही करते हैं उन्हे कोई राशि भरण पोषण, इलाज व अन्य आवश्यकता के लिये एक रूपया भी अदा नही करते हे तथा मांगने पर गाली गलोच झुठे मुकदमे दर्ज कराने की धमकी देते हं तथा मारपीट करते है। गाली गलौच करते है। आये दिन छोटी छोटी बात को लेकर थाना दादाबाडी में रिपोर्ट करवाती रहते है।

प्रार्थीगण के उक्त कथनों का खण्डन करते हुये अप्रार्थीगण नं0 1 व 2 की ओर से कथन किया गया है कि प्रार्थी क्रम 2 की थोक फ्रुट्स सब्जी मण्डी कोटा में बहुत बडा व्यवसाय फर्म मैसर्स कादरिया फ्रुट्स कम्पनी के नाम से बरसो से चला आ रहा हुआ है। इस अपने व्यवसाय को प्रार्थी क्रम 2 द्वारा इस फर्म वाले व्यवसाय को अन्य को लीज/ किराया/लाईसेन्स पर देकर लेसर/किरायेदार/लाईसेन्सी से करीब 100,000 /–रूपये महिना निरन्तर प्राप्त किया जाता हुआ चला आ रहा है। इस प्रकार प्रतिपक्षी क्रम 2 की वहां अपनी फर्म से करीब 1,00,000/– रूपये मासिक की नियमित आय हो रही है। प्रतिपक्षी कम 1 को मात्र 10–15 हजार रूप्ये माहवार मात्र की आमदनी बडी मुश्किल से हो जाती है। प्रार्थीगण बिना किसी बात व कारण के प्रतिपक्षीगण के नाराजगी व रंजिश रखते हुये प्रतिपक्षीगण को परेशान करना चाहते है तथा दुर्भावना से प्रतिपक्षीगण को मकान से इस प्रकरण की आड में बेदखल करना चाहते है। अप्रार्थीगण नं0 1 व 2 के अनुसार प्रार्थीगण की पास आय के प्र्याप्त साधन है परन्तु अप्रार्थी नं0 1 व 2 की ओर से प्रार्थीगण की आय के संबंध में कोई पुख्ता दस्तावेज या साक्ष्य पेश नही किये है जिससे यह स्पष्ट को सके कि प्रार्थी को प्रतिमाह लगभग 1,00,000/–रूप्ये की आय प्राप्त होती है। साक्ष्य के अभाव में अप्रार्थी नं0 1 व 2 के कथनों पर विश्वास नही किया जा सकता

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

है। अप्रार्थी नं0 3, 4, 5 का कथन है कि अप्रार्थी नं0 3, 4, 5 15,000/– रू0 प्रार्थीगण को देते है।

प्रार्थीगण का यह भी कथन रहा है कि अप्रार्थीगण नं0 1 व 2 प्रार्थीगण के साथ लड़ाई झगड़ा एवं मारपीट करते है। परन्तु प्रार्थीगण की ओर से अपने उक्त कथन के समर्थन में किसी प्रकार का कोई ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हैं जिससे प्रार्थीगण के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थीगण अपने मारपीट, गाली–गलौच से सम्बंधित कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी नं0 1 व 2 को मकान नं0 46 कादरिया मंजिल गौतम वाटिका के पास अधरशिला कच्ची बस्ती दादाबाडी कोटा राज0 थाना दादाबाडी से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

चूंकि प्रार्थीगण वर्तमान में वृद्धावस्था के कारण किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, आय का पर्याप्त स्रोत नही होने के कारण प्रार्थीगण अपनी सार–सभांल स्वयं करने में असमर्थ हैं। जिस कारण से प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थीगण नं0 1 व 2 को पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थीगण को 2,500/– रूपये मासिक भरण–पोषण हेतु राशि जर्ये बैंक खाता दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि भरण–पोषण राशि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न न हों तथा अप्रार्थी नं0 3, 4, 5 पूर्व की भांति प्रार्थीगण को भरण पोषण राशि अदा करते रहेगे।

उक्त निर्णय आज दिनांकः 30/03/2026 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा